न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 77 / 2023

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

अलादीन पुत्र जानूखां जाति– मोयला, निवासी– पायलां खुर्द, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा	1. अजाराम पुत्र खीमाराम 2. गेनाराम पुत्र खीमाराम 3. पुरखाराम पुत्र खीमाराम 4. नीम्बाराम पुत्र मेघाराम 5. बगदाराम पुत्र चैनाराम जातियान राईका निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 6 के पैरोकार उप.। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 22.01.2026

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि खेत खसरा संख्या 198 रकबा 11.2451 मौजा मोतीसरा पटवार मण्डल पांयला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा की भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 21.11.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 198 रकबा 11.2451 मौजा मोतीसरा पटवार मण्डल पांयला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	अलादीन पुत्र जानू खां जाति मोयला सा. पांयला खुर्द खातेदार।	मोतीसरा	198	1.8742	बा.सोयम	0.15	हरा
2	अजाराम पुत्र खीमाराम 2/5 हि. गेनाराम पुत्र खीमाराम 1/3 हि. पुरखाराम पुत्र खीमाराम 1/3 हि. नीम्बाराम पुत्र मेघाराम 2/15 हि. बगदाराम पुत्र चेनाराम 2/5 हि. जाति राईका सा. देह खातेदार।	मोतीसरा	198	9.3709	बा. सोयम	0.75	गुलाबी
3							

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी